

I/29915/2022

बिहार सरकार
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
(ग्रामीण विकास विभाग)

दिनांक--:07/08/2022

प्रेषक,

राहुल कुमार, भा०प्र०से०,
आयुक्त मनरेगा।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार।

विषय : महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत नये कार्यों को प्रारंभ किए जाने के संबंध में।

प्रसंग : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक J-11017/39/2017-RE-VII (E
378816) दिनांक 18-07-2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर सभी अपूर्ण कार्यों को ससमय पूर्ण किए जाने के साथ-साथ कार्यों के बेहतर कार्यान्वयन के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निदेशित किया जाता रहा है। इसी संदर्भ में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि Nregasoft में ऐसा प्रावधान कर दिया गया है जिससे महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत किसी भी ग्राम पंचायत में पूर्व से 20 अपूर्ण कार्य (प्रधानमंत्री आवास योजना एवं वृक्षारोपण के कार्यों को छोड़कर) उपलब्ध रहने की स्थिति में नए कार्य के लिए मस्टर रोल जारी नहीं किया जा सकेगा। यह प्रावधान नरेगासॉफ्ट में दिनांक 01 अगस्त 2022 से प्रभावी होगा। यदि किसी ग्राम पंचायत में 20 चल रहे कार्यों के बावजूद एक नया काम खोलने की आवश्यकता है, तो कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा इस तरह के नए काम को खोलने के लिए उचित औचित्य के साथ जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC) को अनुरोध किया जाएगा तथा तदनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC) द्वारा नए कार्य को प्रारंभ किये जाने की मंजूरी की अनुमति दी जा सकती है। जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC) के अनुमोदनोपरांत उक्त कार्य का क्रियान्वयन किया जाएगा। आपके सुलभ प्रसंग हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न की गयी है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है अपने स्तर से सभी संबंधितों को निदेशित कराया जाए तथा अपने जिले अंतर्गत ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित सभी अपूर्ण कार्यों को नियत समय पर पूर्ण कराये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिले के अंतर्गत अपूर्ण कार्यों की पूर्णता का अपने स्तर से सतत अनुश्रवण करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

Signed by Rahul Kumar

(राहुल कुमार): 07-08-2022 17:26:20

आयुक्त मनरेगा। Reason: Approved

प्रतिलिपि : सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, बिहार को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1114469/2022/SECTION 1-BRDS

F. N o: J-11017/39/2017-RE-VII (E 378816)

Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated- 18th July, 2022

The Principal Secretary/Secretary/ Commissioner
(In Charge of Mahatma Gandhi NREGA)
Rural Development Department
All States/ UTs(Except UT of Delhi/Chandigarh)

Subject: Opening of new work and provision made in NREGASoft under Mahatma Gandhi NREGA Scheme.

Madam/ Sir,

The undersigned is directed to convey that a provision may be made available in NREGASoft , so that muster roll for new work may not be issued, if 20 number of works (excluding Plantation related work under maintenance and ongoing PMAY-G/ State housing Scheme works) are available in a particular Gram Panchayat. This provision may be made effective from 1st August, 2022.

2. In case, it is required to open a new work, despite of having 20 ongoing works, DPC may be allowed to approve the request of PO for opening of new work with due justification for opening of such new work(s) .

3. States/UTs are requested to take necessary to complete the ongoing works pending beyond their due "completion period" as per the Detailed Project Report (DPR) of every work.

This issues with the approval of Secretary Rural Development.

Yours faithfully,

(Dharmvir Jha)


Director (Mahatma Gandhi NREGA)

Copy to :

1. All officer of Mahatma Gandhi NREGA Division
2. NIC-DRD for information with a request to make necessary provision enabled on 31st July, 2022 in the NREGASoft .
3. US (RE-VI) - for further necessary action.

4391

22/07/22



Urgent
Asst.
Ranjit
25/7

18-07-22
519
23/07/2022